रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152] नई दिल्ली, शनिवार, जून 23, 1973/आषाढ़ 2, 1895
No. 152] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 1973/ASADHA 2, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd June 1973

SUBJECT.—*Supply of imported steel for export production.*

No. 105-ITC(PN)/73.—Attention of all registered exporters is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 86-ITC(PN)/73, dated the 5th June, 1973 on the subject of supply of imported steel for export production.

2. It has been decided that apart from supply of imported steel for export production, the value of other imported raw materials (like zinc for steel pipes and tubes) will also be reckoned in the total c.i.f. value of import in calculating as to whether or not the f.o.b. value of export contracts exceeds the c.i.f. value of imported inputs by at least 25 per cent, required for fabrication of export products, irrespective of whether these inputs are obtained from indigenous or imported supplies.

3. This determination regarding the total value of imported inputs would be made in respect of all inputs which are also partially imported into the economy, even though some part may be available indigenously (as for instance, zinc).

4. The determination in regard to the import price of steel would continue to be made by the Hindustan Steel Limited. The further determination in regard to the requirement of other imported inputs would be made by the Directorate General of Technical Development (Engineering Export Promotion Cell) before recommending the import applications to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.

5. The provisions of this Public Notice would come into force with immediate effect. All other provisions of Public Notice No. 86-ITC(PN)/73, dated 5th June, 1973 would continue to apply.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 जून, 1973

विषय :—निर्यात उत्पादन के लिए आयातित इस्पात का संभरण।

संख्या 105—आई० टी० सी० (पीएन)/73.—निर्यात उत्पादन के लिए आयातित इस्पात का संभरण विषयक वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 86—आई० टी० सी० (पीएन)/73 दिनांक 5 जून, 1973 की ओर सभी पंजीकृत निर्यातकों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यह निश्चय किया गया है कि निर्यात संविदाओं का जहाज पर निशुल्क मूल्य आयातित निवेशों के लागत बीमा भाड़ा से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक है अथवा नहीं इसका हिसाब लगाने के लिए निर्यात उत्पादन के लिए आयातित इस्पात के संभरण से अलग निर्यात उत्पादों के निर्माण के लिए अपेक्षित अन्य आयातित कच्चे माल (जैसे इस्पात की पाइपों और ट्यूबों के लिए जस्ता) के मूल्य की गणना भी आयात के कुछ लागत बीमा भाड़ा में की जाएगी। ये आयात निवेश चाहे देशी अथवा आयातित संभरणों द्वारा प्राप्त किए गए हों, इसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

3. आयातित निवेशों के कुल मूल्य के सम्बन्ध में यह निर्धारण उन सभी निवेशों के लिए किया जाएगा जो कि मितव्यता में आंशिक रूप में भी आयात किए गए हैं, च कुछ भाग देशी रूप में भी क्यों न उपलब्ध किया जाए (उदाहरणार्थ जस्ता)।

4. इस्पात की आयात कीमत के सम्बन्ध में निर्धारण करना हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा जारी रहेगा। अन्य आयातित निवेशों की आवश्यकता के सम्बन्ध में आगे निर्धारण महानिदेशालय, तकनीकी विकास (अभियांत्रिक निर्यात संवर्धन सेल) द्वारा आयात आवेदन-पत्रों पर सिफारिश करके मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजने से पहले किया जाएगा।

5. इस सार्वजनिक सूचना की शर्तें तुरन्त लागू होंगी। सार्वजनिक सूचना संख्या : 86 – आई० टी० सी० (पीएन)/73, दिनांक 5–6–1973 की अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी।

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973